System Officer

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक :– 32 दिनांक :– 17.05.2025

: : कार्यालय आदेश : :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **आरक्षी केन्द्रों पुष्कर, हरिभाऊ उपाध्याय नगर व पीसांगन, अजमेर** से संबंधित धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 (धारा–164 दण्ड प्रकिया संहिता) के अन्तर्गत लेखबद्व किए जाने वाले बयान, मृत्युकालिक कथन एवं इन्वेन्ट्री कार्यवाही से संबंधित इस कार्यालय के गत् कार्यालय आदेश **क्रमांक 14 दिनांकित 28.02.2025, कमांक 03 दिनांकित 22.01.2025 व संशोधित कार्यालय आदेश कमांक 05 दिनांकित 27.04.2023** को निरस्त कर निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है :–

कम संख्या	आरक्षी केन्द्र का नाम	क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय का नाम	प्रथम लिंक न्यायालय	द्वितीय लिंक न्यायालय	तृतीय लिंक न्यायालय
I	II	III	IV	V	VI
01.	पुष्कर थाना	ACJM PUSHKAR	JM-(South) AJMER	JM-5, AJMER	JM-4, AJMER
02.	हरिभाऊ उपाध्याय नगर, अजमेर	JM-1, AJMER	JM-5, AJMER	JM-4, AJMER	JM-3, AJMER
03.	पीसांगन	Gram Nayayalay Pisagan	JM-4, AJMER	JM-3, AJMER	JM-5, AJMER

नोट :–

01. हस्तगत आदेश की दिनांक से पूर्व न्यायालयों में पेशशुदा धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 (धारा–164 दण्ड प्रकिया संहिता) बयान, मृत्युकालिक कथन व इन्वेन्ट्री कार्यवाही के प्रार्थना–पत्र की कार्यवाही संबंधित न्यायालयों के द्वारा ही पूर्ण की जावेगी।

02. उपरोक्त कार्यवाहियों के संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेश निरस्त किए जाते है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उपरोक्त कार्यवाहियों के संबंध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता से आदेश प्राप्त किए जायेंगे।

03. उपरोक्त न्यायालयों की क्षेत्राधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्रों से संबंधित माल एवं मुलजिम की कार्यवाही शिनाख्तगी की कार्यवाही संबंधित मुख्यालय के उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा की जावेगी एवं उनकी अनुपस्थिति में संबंधित मुख्यालय के तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा संपादित की जाएगी।

04. यदि किसी प्रकरण में गवाह की उम्र– 18 वर्ष से कम हो व गवाह Child Care Institutions, Ajmer में दाखिल हो, उनके बयान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक Gen/XV/45/2006/committee/655 dated 21.02.2023 की पालना में धारा 183 बी.एन.एस.एस 2023 (धारा–164 दण्ड प्रकिया संहिता) के बयान लेखबद्व करवाए जाने हेतु आदेश पृथक से अद्योहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त किए जाऐंगे।

05. आदेश की दिनांक से उक्त आरक्षी केन्द्रों पुष्कर, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, पीसांगन अजमेर के इन्वेन्ट्री आदेश पृथक से अद्योहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त किये जायेंगे।

17.05.2025

{प्रकाश चन्द्र मीणा}
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर। 17/05/2025

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

दिनांक :- 17.05.2025

क्रमांक :- 2201–2212

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को सादर प्रेषित है :-

01. माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर।
02. पीठासीन अधिकारी, समस्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर मुख्यालय अजमेर।
03. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्कर, अजमेर।
04. ग्राम न्यायालय पीसांगन, अजमेर।
05. पुलिस अधीक्षक, अजमेर।
06. थानाधिकारी, पुलिस थाना पुष्कर/पीसांगन/ हरिभाऊ उपाध्याय नगर अजमेर।
07. उपखण्ड अधिकारी, अजमेर मार्फत जिला कलक्टर, अजमेर।
08. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अजमेर मार्फत जिला कलक्टर, अजमेर।
09. प्रभारी अधिकारी पुलिस कन्ट्रोल रूम, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि अजमेर मुख्यालय के समस्त आरक्षी केन्द्रों को जरिये वायरलेस सूचित किया जावें।
10. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को जिला न्यायालय की Website पर uplodad करें।
11. कार्यालय प्रति।

17.05.2025

(प्रकाश चन्द्र मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर।

17/05/2025

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अजमेर